



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली देहात

दिनांक 02.03.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-38/2026 धारा 3(A)/4(2) पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.03.2026 को वादी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.अयान पुत्र फुरकान 2.आजम पुत्र नईम निवासी ग्राम हुसैनाबाद उर्फ दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र के साथ गलत काम करते हुए वीडियो बनायी गयी तथा किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने को धमकी दी गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-38/2026 धारा 3(A)/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा साक्ष्य के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही:-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आजम पुत्र नईम निवासी ग्राम हुसैनाबाद उर्फ दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक मोबाईल फोन Redmi 12 सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम व पता-

आजम पुत्र नईम निवासी ग्राम हुसैनाबाद उर्फ दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

एक मोबाईल फोन Redmi 12

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- हे0का0 515 लोकेश थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 3- हे0का0 627 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 4- है0का0 315 अवनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 5- का0 1163 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेसनोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 01.03.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 61/2026 धारा 64(1)/87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

घटना एवं कार्यवाही संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.02.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी अभियुक्त फैजान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम धींगरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया ।

इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 61/26 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 02.03.2026 थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त फैजान उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फैजान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम धींगरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री असकर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.का0 129 कुलदीप थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.का0 07 नितेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर